



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 613) पटना, बृहस्पतिवार, 22 जुलाई 2021

सं० 08/आरोप-01-12/2019-7076/सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

14 जुलाई 2021

परिवाद संख्या-01/लोक (आपूर्ति) 02/2017 में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 08.02.2019 को पारित आदेश के आलोक में श्री श्रीप्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1070/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत रक्सौल अनुमंडलान्तर्गत छौड़दानों प्रखंड के कुछ जन वितरण प्रणाली दुकानों में एक ही परिवार को पूर्विकताप्राप्त (पी0एच0एच0) एवं अन्त्योदय श्रेणी का राशन कार्ड निर्गत करने, खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण में अनियमितता बरतने, सरकारी राशि का गबन किये जाने एवं विभागीय निदेशों का अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 26 दिनांक 08.03.2019 एवं पत्रांक 111 दिनांक 06.09.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री श्रीप्रकाश के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-888 दिनांक 19.01.2021 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री श्रीप्रकाश द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 08.02.2021) विभाग में समर्पित किया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक 3745 दिनांक 16.03.2021 द्वारा श्री श्रीप्रकाश के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक 25 दिनांक 26.03.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री श्रीप्रकाश के विरुद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि वाद संख्या-01/लोक (आपूर्ति) 02/2017 में माननीय सदस्य (न्यायिक) लोकायुक्त, बिहार द्वारा दिनांक 18.03.2021 को अंतिम आदेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है :- "Having regard to the explanatioin submitted by Smt. Sayeeda Khatoon, the then S.D.O., Raxaul and Sri Shri Prakash, the then S.D.O., Raxaul, the enquiry against them is closed with a warning to be issued to them that they must remain more vigilant and more careful in exercise of their statutory powers being licensing authority."

समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा श्री श्रीप्रकाश के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है परन्तु श्री श्रीप्रकाश के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी द्वारा विभाग को प्रेषित मंतव्य/प्रतिवेदन अवर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को भेजी गयी थी जिसके समीक्षोपरांत ही माननीय लोकायुक्त द्वारा लाईसेंसिंग प्राधिकारी होने के नाते अपनी वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में अधिक सतर्क और अधिक सावधान रहने की चेतावनी जारी करने संबंधी आदेश पारित करते हुए मामले को संचिकास्त किया गया है।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री श्रीप्रकाश, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1070/2011, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगुसराय का स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

1. निन्दन (वर्ष-2015-16)

**आदेश :-** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
ek0 fl jkt lhu v l kjh,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 613-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>